ग्रामीण विकास युवा संस्थान,
दौसा (राज.)
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014–2015

1. **एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन परियोजना :–**

(क) एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन परियोजना (IWRM-II) :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा द्वारा युरोपियन संघ की सहायता से राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के तत्वाधान में संचालित एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन परियोजना (द्वितीय फेज) अन्तर्गत राजस्थान प्रदेश के जोधपुर जिले की समस्त 339 ग्राम पंचायतों में दिनांक 09 जनवरी 2014 से IWRM-II परियोजना लगातार चल रही है। IWRM-II परियोजना अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 25 चयनित व्यक्तियों की ग्राम जल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन कर उक्त कमेटी का ग्राम सभा से नियमानुसार अनुमोदन कराया गया। समस्त 339 ग्राम पंचायतों में प्रति माह सरपंच की अध्यक्षता में मासिक बैठको आयोजन कराकर लोगों में सोशल मोबलाईजेशन का कार्य सफलतापुर्वक किया गया। साथ ही सभी 339 ग्राम पंचायतों पर गठित कमेटियों के सदस्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण देने के उपरान्त फिर से तीन–तीन दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण में संस्थान के मास्टर ट्रेनरों एवं सन्दर्भ वक्ताओं द्वारा ने IWRM-II परियोजना के बारें में जानकारी प्रदान कर जल संरक्षण के उपाय एवं तरीकों के बारे में बताया गया। IWRM-II परियोजना के उद्धेश्यों से अवगत कराया गया। तथा जिला एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाऐं भी दो–दो बार कराई गई जिसमें जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशालाओं में IWRM-II परियोजना के बारें में जानकारी प्रदान कर जल संरक्षण के उपाय एवं तरीकों के बारे में बताया गया। तथा सभी विभाग और ऐजेन्सी साझा रूप से जल संरक्षण पर कार्य करने पर साझा नीति बनाने पर चर्चा की गई। IWRM-II परियोजना अन्तर्गत SWRPD जयपुर द्वारा

जोधपुर जिले 267 ग्राम पंचायतों में दो–दो लाख रूपये EU-SPP फण्ड के रूप में दिये गये थे। संस्थान द्वारा ग्राम पंचायतवार सभी 267 ग्राम पंचायतों में DPR तैयार कराकर कार्य की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृती पंचायत समितियों द्वारा जारी कराकर प्रति ग्राम पंचायत दो–दो के जल संरक्षण सम्बन्धित कार्य कराये गये।

2. प्लसमेंन्ट कार्यक्रम :–

ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु प्लसमेंन्ट कार्यक्रम संचालित कर रहा हैं। जिसमें संस्थान द्वारा राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन दौसा, उपनिदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक आत्मा दौसा, सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) विभाग दौसा, पंचायत समिति दौसा में प्लसमेंन्ट के माध्यम से दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 42 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम :–

(क) **स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहित कार्यक्रम :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा कार्यालय चिकित्सा अधिकारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लवाण के तत्वाधान में ग्राम लवाण में 10 दिसम्बर 2014 को स्वैच्छिक रक्तदान प्रोत्साहित कार्यक्रम अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 50 युवाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में युवाओं को जानकारी देकर स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। उसके बाद कार्यशाला में उपस्थित सभी युवाओं द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान करने हेतु संकल्प पत्र भर कर दिया।

4. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम :–

(क) **घरेलू हिन्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता विभाग के सहयोग से दौसा जिले में घरेलू

हिन्सा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पीडित महिलाओं को कानूनी जानकारी एवं सहायता प्रदान करने के लिये ग्राम सैथल एवं दौसा जिला मुख्यालय पर एक–एक महिला परामर्श केन्द्र दिनांक 1 अप्रैल 2014 से प्रारम्भ किया गया। जिसमें एक–एक महिला परामर्शदाता केन्द्रों के संचालन हेतु रखी गयी है। जो पीडित महिलाओं को कानूनी जानकारी के साथ आवश्यक सहायता प्रदान करती है। जिसमें कानूनी विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अन्तर्गत महिलाओं के अधिकारों की जानकारी के साथ पुलिस एवं कोर्ट के जरिये अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने की विभिन्न कानूनी सलाह दी जाती है ।

5. जल, जंगल, जमीन संरक्षण कार्यक्रम :–

(क) **चरागाह विकास कार्यक्रम :–** ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा जल, जंगल, जमीन संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पंचायत समिति दौसा के ग्राम सैथल में 19 जुलाई, 2014 को ग्रामीणों के सहयोग से 05 हैक्टीयर चरागाह में चारा उत्पादन करने के लिए घास की बोई गई। और 800 छायादार पौधे लगाये गये। इनकी पौधो की सुरक्षा हेतु ग्राम वन सुरक्षा समिति का गठन किया गया। और घास एवं पेडों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राम वन सुरक्षा समिति सैथल को सौपी गई।

6. स्वयं सहायता समुहों का गठन एवं बैंक लिकेंज कार्यक्रमः–

(क) स्वयं सहायता समुहों के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों को बैंको से ऋण दिलवाकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु ग्रामीण विकास युवा संस्थान द्वारा जयपुर जिले की जमवारामगढ पंचायत समिति 05 ग्राम पंचायतों में बी.पी.एल. परिवारों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको स्वजरोजगार के जरिये आत्म निर्भर बनाने हेतु 16 मई 2014 को कार्य प्रारम्भ किया गया। संस्थान द्वारा वर्ष 2014–15 अन्तर्गत 16 मई 2014 से 31 मार्च, 2015 तक कुल 25 स्वयं सहायता समुह बनाकर 258 बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया गया। स्वयं सहायता समूहो की मासिक बैठकों का आयोजन, बचत राशि, लेखा संधारण, बैक लिंकेज, नियमित किया जा रहा है। गतिविधिं का चयन कर कौशल विकास प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिसमें से 10 स्वयं सहायता समुहो

को बैंको से भैस पालन एवं गलीचा उधोग, नगीना कटींग, टेलरिंग कटिग एवं बुनाई, आरीतारी (जरी कढाई), बर्तन उधोग, गतिविधियों के लिए ऋण दिलाकर व्यवसाय शुरू करा दिया गया।

(ख) **स्वयं सहायता समुहों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 25 स्वयं सहायता समुहों को एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण दिनांक 15.09.2014 को ग्राम रायसर में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 25 समुहों के 50 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञों द्वारा स्वयं सहायता समुहों के गठन का उददेश्यों के बारे में जानकारी प्रदान की, साथ ही समुह संचालन हेतु मासिक बैठकों एवं बचत राशि, दस्तावेजों का रख रखाव एवं जानकारी और समुह में ऋण का लेन देन, आदर्श समुह के नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की

(ग) **स्वयं सहायता समुहों का कौशल विकास प्रशिक्षण** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान दौसा द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति जमवारामगढ़ में 10 स्वयं सहायता समुहों को दस दिवसीय कौशल प्रशिक्षण दिनांक 11.02.2015 से 20.02.2015 तक ग्राम रायसर में आयोजित किया गया। जिसमें कुल 10 समुहों के 98 सदस्यों ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में माइक्रों गतिविधियां बर्तन उधोग, आरीतारी (जरी कढाई), गलीचा उधोग, टेलरिंग कटीग (सिलाई उधोग) के व्यवसाय सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। जिसमें कच्चे माल का आयात एवं तैयार माल का निर्यात करने सम्बन्धित जानकारी दी गई। उपकरणों का रख रखाव और उत्पादन करने सम्बन्धित जानकारियां देकर सम्बन्धित ट्रेड में दक्षता एवं क्षमता विकास का प्रशिक्षण कराया गया।

उपरोक्त कार्यक्रमों पर आधारित आपका संस्थान प्रयासरत है। संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में आपका सहयोग, सुझाव, मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।

भवदीय

(पी. एन. मीना)
सचिव

SECRETARY
Gramin Vikas Yuva Sansthan
Dausa (Raj.) India